किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार डेह को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा ने वकालतनाम मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र गवाह किशनलाल का एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा छापड़ा के खाता संख्या 100 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादपत्र माफिक वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। तहसीलदार डेह को माफिक वादपत्र राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालि जवाब दावा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। घोषणा खातेदारी वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है वकील वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के बिन्दु संख्या 'क', 'ख', 'ग', में मुतदाविया खेताय की कुल भूमि मे से प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जवाब में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः हम वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी कपिल के हक बंट काब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 1678/435 रकबा 1.897 हैक्टेयर में से रकबा 1.4600 हैक्टेयर हिस्सा पूर्वी दिशा में रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी अमित के हक बंट काब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 1678/435 रकबा 1.897 हैक्टेयर में से रकबा 0.4370 हैक्टेयर हिस्सा पश्चिमि दिशा में तथा खसरा नम्बर 1677/435 रकबा 1.0086 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 किशनलाल के हक बंट काब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 478 रकबा 1.3597 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 1676/435 रकबा 0.1376 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता यथावत रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. उक्त खसरान में से बैकं के रहन खसरो का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 16.8.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner